

11/6/25

पत्रावली पेश। शायी व वकील शायी के
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-2
आवाज लगाने के पश्चात् भी शायी
व वकील शायी न्यायालय में हाजिर
नहीं आये। अतः शायी के आवेदन
अन्तर्गत धारा 212 R.M. अधिनियम
अधिनियम में जाति किया जा रहा है।
पत्रावली फॉल्ल शुमार लोक नम्बर
सं क्रम लोक दायित्व दस्तावेज

उपस्थित